महत्वपूर्ण एवं खास

मुख्यमंत्री ने अभिनेता इरफान खान के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुमुखी अभिनेता इरफान के असामयिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपका मीडियम 'हिन्दी' हो या 'अंग्रेजी' अगर अपनी कला में निपुण हैं तो आप ही असली चैम्पियन है। इरफान खान जी ने रील लाइफ ही नहीं रियल लाइफ में भी हम सबको यही सिखाया है। उन्हें जीवंत और सशक्त अभिनय के लिए सदैव याद किया जाएगा। उनके परिवार, प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं है। उनका असमय जाना न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।

लोक कलाकारों के लिए डोनेशन ऑन व्हील अभियान में भेंट किए राशन के एक हजार पैकेट

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के लिए डोनेशन ऑन व्हील अभियान के तहत राशन के 1000 पैकेट भेंट किए। उन्होंने आज सवेरे यहां अपने निवास पर डोनेशन ऑन व्हील अभियान के वाहन को प्रतीक स्वरूप कुछ पैकेट अपने हाथों से भेंट किए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा उपलब्ध कराए गए राहत पैकेट में 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 2 किलो आटा, आधा किलो नमक, हल्दी, एक साबुन और बिस्कुट शामिल है। राशन के ये पैकेट लोक कलाकारों को वितरित किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी के जी.एम. कम्युनिकेशन आशीष मिश्रा ने बताया कि डोनेशन ऑन व्हील अभियान के तहत शहरवासियों से इकट्ठे किए गए राशन के 37000 पैकेट जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं । इसी तरह लगभग ढाई लाख लोगों को भोजन कराया जा रहा है । रायपुर शहर में इसके लिए 10 किचन संचालित किए जा रहे हैं।

देश के अन्य हॉटस्पाट जिलों से छत्तीसगढ़ आने के लिए कोई भी पास नहीं होगा जारी

रायपुर । कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्य से आने की अनुमति के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि देश के अन्य हॉट-स्पाट जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आने के लिए कोई भी पास आगामी आदेश तक जारी नहीं किए जाए। कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि हॉट-स्पाट की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रतिदिन अद्यतन की जाती है, इसका उपयोग किया जाए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग से भी हॉट-स्पाट जिलों की अद्यतन स्थिति प्राप्त की जाए। परिवार के नजदीकी सदस्य (माता-पिता, पिता-पुत्र) की मृत्यु अथवा मेडिकल इमरजेंसी के कारण जो व्यक्ति अन्य राज्य से विधिवत अनुमति, पास प्राप्त कर छत्तीसगढ़ के किसी जिले में आना चाहते है, उन्हें संबंधित सीमावर्ती जिले के जिला दण्डाधिकारी या संबंधित जिला दण्डाधिकारी अनुमति जारी कर सकेंगे। इसके साथ ही अतिरिक्त अन्य आपातिक कारणों, उद्देश्य के संबंध में प्राप्त आवेदन का जिला दण्डाधिकारी परीक्षण और सुसंगत दस्तावेज सहित प्रकरण गृह विभाग को भेजने पर गृह विभाग की अनुमति के बाद ही पास जारी कर सकेंगे। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अनुमति आवेदन संबंधित जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्राप्त किए जाए और अनुमति के लिए अनुशंसा सहित प्रेषित किए जाए। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग में सीधे प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य से वैद्य अनुमति प्राप्त कर, स्वयं के साधन से, छत्तीसगढ़ होकर, दूसरे राज्य जा रहा है तो संबंधित सीमावर्ती जिले के जिला दण्डाधिकारी की वैद्य अनुमति और दस्तावेज के परीक्षण के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ होकर अन्य राज्य के लिए अनुमति दे सकते हैं।

छत्तीसगढ़ वापस आने वाले व्यक्तियों और श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और अन्य व्यवस्था के संबंध में मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को लिखा पत्र

» जिला कलेक्टर संबंधित राज्यों के जिला दण्डाधिकारी से चर्चा

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों और व्यक्तियों की वापसी के लिए आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए है। जिसके तारतम्य में प्रदेश के मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों पत्र लिखकर निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ वापस आने वाले व्यक्तियों और श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को राज्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए बेहतर प्रबंधन को लक्षित करते हुए आगामी कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु समुदाय स्तर पर सक्रिय निगरानी कर मरीज की त्वरित पहचान व उपचार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में गए व्यक्तियों और मजदूरों के वापस अपने निवास जिले में आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ वापस आने वाले व्यक्तियों और श्रमिकों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना जरूरी है। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को प्रथमतः घर वापसी के इच्छुक श्रमिकों का पूर्ण आंकलन कर प्रवासी श्रमिकों की संख्या, उनके परिवार के सदस्यों की संख्या, प्रदेश जहां से वे आना चाहते हैं एवं सम्बद्ध जिला इत्यादि की जानकारी प्रदेशवार एवं जिलेवार एकत्रित करने को कहा है। यह आंकलन श्रमिक हेल्पलाईन, जनप्रतिनिधि, एनजीओ और अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचना, शासन द्वारा जिन्हें सहायता उपलब्ध करायी गई है तथा अन्य व्यक्ति और श्रमिक जो छत्तीसगढ़ में आने के इच्छुक हैं के आधार पर किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को संबंधित प्रदेश के जिले के जिला दण्डाधिकारी से चर्चा और समन्वय कर यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितनी संख्या में श्रमिक या व्यक्ति किस प्रदेश के किस जिले से कब आ रहे हैं या आने की संभावना है ताकि आवश्यक तैयारी की जा सके। कलेक्टरों द्वारा अन्य राज्यों से प्राप्त डाटा और जानकारी को तत्काल राज्य के नोडल अधिकारी से साझा करेंगे। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा है कि कार्ययोजना बनाने एवं उसके क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा है कि आंकलन के आधार पर वापस आने वाले श्रमिकों एवं परिवार के सदस्यों को क्वारेंटाइन में रखने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां जिला प्रशासन के समन्वय से की जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर गांव से दूर उपयुक्त भवन जैसे-स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, आश्रम एवं छात्रावास इत्यादि में क्वारेंटाइन करने की कार्ययोजना तैयार की जाए। मुख्य सचिव ने लिखा है कि इस कार्ययोजना में मजदूरों की संख्या के आंकलन के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर भी तैयारी की जाए। उन्होंने कलेक्टरों से कहा है कि अन्य प्रदेशों से वापस आये समस्त श्रमिकों का संपूर्ण ऑनलाइन डाटा बेस जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था की भांति शहरी क्षेत्रों में भी व्यवस्था अन्य राज्यों से वापस आने वाले श्रमिकों और व्यक्तियों के लिए की जाए। इसी तरह क्वारेंटाइन सेंटर में भोजन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों का प्रदेश की सीमा पर ही स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। श्रमिकों की अधिकता की स्थिति बनने पर सीमावर्ती जिले के अतिरिक्ति अन्य नजदीकी जिले और अन्य निर्धारित स्थानों में भी स्वास्थ्य परीक्षण का काम किया जाएगा। इसके लिए पूर्व से ही स्थान और व्यवस्था का निर्धारण करने तथा इन व्यवस्थाओं को कारगर ढंग से लागू करने के लिए जिलों के मध्य समुचित समन्वय बनाने के निर्देश दिए।

शहीद जवान की पत्नी ने सीएम सहायता कोष में दिया योगदान

रायपुर । बस्तर के शहीद जवान उपेन्द्र साहू की पत्नी श्रीमती राधिका साहू ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 10 हजार रूपए की सहयोग राशि जमा की है। शहीद जवान उपेन्द्र साहू एक महीने पहले बस्तर में पूरी बहादुरी से नक्सलियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। शहीद की पत्नी श्रीमती राधिका साहू ने खुद बस्तर पुलिस अधीक्षक के पास जाकर यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम से जमा की, और कहा कि अगर आज मेरे पति होते तो वो भी यही करते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवान की पत्नी श्रीमती राधिका साहू के इस जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि इस सहयोग के लिए मैं निःशब्द हूं और उन्हें सलाम करता हूं।

तेन्दूपत्ता खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ आने वाले व्यापारियों को क्वारंटाईन सेंटर में रखकर किया जाएगा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण

रायपुर । छत्तीसगढ़ में तेन्दूपत्ता की खरीदी के लिए आने वाले व्यापारियों और उनके प्रतिनिधियों को उनके कार्य क्षेत्र के क्वारंटाईन सेंटर में रखा जाएगा और उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इन लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उन्हें संबंधित जिले में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य की अनुमति दी जाएगी। ये लोग रिपोर्ट निगेटिव आने पर तेन्दूपत्ता संग्रहण, परिवहन आदि कार्य कर सकेंगे। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विभागीय अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के बाहर से तेन्दूपत्ता खरीदी के लिए आने वाले व्यापारियों तथा उनके प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य के दौरान शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और स्वास्थ्य विभाग की एडवाईजरी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

इस तारतम्य में प्रमुख सचिव वन मनोज कुमार पिंगुआ ने राज्य के समस्त कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश जारी करते हुए उनका शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए हैं। पिंगुआ ने जारी पत्र में कहा है कि संबंधित जिले के वन मंडलाधिकारी, प्रबंध संचालक, जिला कलेक्टर को उनके कार्य क्षेत्र अंतर्गत क्रेताओं और उनके ऐसे प्रतिनिधि जो राज्य के बाहर से छत्तीसगढ़ आना चाहते हों उनकी सूची प्रस्तुत करेंगे और संबंधित जिला कलेक्टर उनके कार्य क्षेत्र के जिलों तक इन लोगों का परिवहन कराकर स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र के जिले के क्वारंटाईन सेंटर में रखेंगे तथा उनके नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के बाद कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें संबंधित जिले में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य करने की अनुमति जारी कर सकेंगे। इस संबंध में वन मंडलाधिकारी उनके क्षेत्र अंतर्गत तेन्दूपत्ता क्रेताओं से संपर्क कर कर्मचारियों के छत्तीसगढ़ प्रवेश के आवागमन मार्ग तथा आगमन तिथि प्राप्त कर संबंधित जिले के कलेक्टर से समन्वय स्थापित करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि पूर्व के वर्षों में व्यापारियों द्वारा तेन्दूपत्ता बोरा भराई कार्य के लिए अन्य राज्यों से श्रमिक लाए जाते थे।

पहाड़ को काटकर ग्रामीणों को दी सड़क की सौगात : लॉकडाउन के दौरान राशन सहित अन्य सामग्री पहुंचाने में हो रही आसानी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नारायणपुर जिला प्रशासन द्वारा पहाड़ों को काटकर ग्राम पंचायत टेमरूगांव के ग्रामीणों को सड़क की सौगात दी गयी है। जिससे लॉकडाउन के दौरान गांवों में राशन, एम्बुलेंस सहित अन्य वाहनों की पहुंच अब आसान हो गई है। नारायणपुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ों से घिरे टेमरूगांव ग्राम पंचायत के दो गांवों और छह पारा-टोले में 200 परिवार प्राकृतिक सौंदर्य की छटा में निवासरत् है। पहाड़ों की तराई में बसे गांवों में रहने वाले लोग विषम परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे थे। पहुंचमार्ग के अभाव में किसी भी क्षेत्र के लिए विकास की बात करना महज कोरी कल्पना सी है, लेकिन प्रशासन के सफल प्रयास से अब यहां जरूरी सुविधाएं पहुंचने लगी है। नक्सल प्रभावित सुदूर वनांचल के निवासी जो वर्षों से आवागमन की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें जिला प्रशासन ने कन्हारगांव से टेमरूगांव 8 किलोमीटर और टेमरूगांव से टोयमेटा तक 7 किलोमीटर पक्की सड़क की सौगात दी है।

ग्राम पंचायत टेमरूगांव की सरपंच श्रीमती कनेश्वरी कोर्राम बताती हैं कि सदियों से बसे इन गांवों में लगभग 700 लोग रहते हैं। कुछ महीने पहले इस गांव तक पहुंचना ही सबसे बड़ी समस्या थी। सीधी चढ़ाई वाले पहाड़ के ऊपर बसे गांवों तक पहुंचने के लिए एक मात्र साधन पगडण्डी ही थी। ऊंचे पहाड़ी में बसे इस गांव के लोगों की परेशानी हमेशा के लिए खत्म होने से गांवों के लोग बहुत खुश हैं। आवागमन की सुविधा मिल जाने से लोग मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी प्रकट करते नहीं थकते। प्रशासन द्वारा पहाड़ को काटकर सड़क निर्माण का कार्य किया जाना प्रशंसनीय है। जहां पहले गांव में पहुंचने के लिए पगडण्डियों पर पैदल चलना मुश्किल था, अब वहीं सड़क निर्माण से बिजली, उचित मूल्य की दुकान, साफ पीने का पानी, स्कूल और आवश्यक सुविधाएं ग्रामीण को उपलब्ध हो रही हैं। साथ ही लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ-साथ एम्बुलेंस और अन्य बुनियादी सुविधायें गांवों तक पहुंच रही है। जिससे प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है।

धमतरी के जालमपुर वार्ड में कोरोना का कोई मामला नहीं: कलेक्टर

रायपुर । कोरोना वायरस (कोविड-19) के संभावित संक्रमण की रोकथाम तथा इससे प्रभावित मरीज को कोरोना फाइटर्स टीम त्वरित रूप से सुरक्षा घेरे में लेकर उसके उपचार की व्यवस्था के लिए किस तरीके का कदम उठाती है। इसके परीक्षण के लिए धमतरी जिला प्रशासन द्वारा आज नगर के जालमपुर वार्ड में मॉकड्रील (रिहर्सल) किया गया। इस मॉकड्रील की प्रक्रिया इतनी गोपनीय रखी गई थी कि चुनिन्दा आला अधिकारियों को छोड़ इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी।

जिले के उच्च अधिकरियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग और कोरोना फाइटर्स की टीम को जैसे ही यह सूचना दी गई की जालमपुर वार्ड का एक व्यक्ति आर.टी.-पी.सी.आर. टेस्ट में कोरोना पॉजीटिव पाया गया है, वैसे ही तत्परता से कोरोना फाइटर्स की टीम ने सुरक्षा का पूरा एहतियात बरतते हुए संबंधित व्यक्ति को शीघ्रता से स्वास्थ्य सुरक्षा घेरे में लेकर उसे इलाज के लिए एम्बुलेंस से एम्स रायपुर के लिए रवाना किया। जिला प्रशासन के इस मॉकड्रील के कारण पूरे धमतरी नगर में आग की तरह यह खबर फैल गई की धमतरी में कोरोना का एक मरीज मिला है।

प्रवासी मजदूरों सहित फंसे अन्य लोगों के अंतर्राज्यीय मूवमेंट के संबंध में दिशा-निर्देश

रायपुर । कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के नियंत्रण हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों, विद्यार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय मूवमेंट के संबंध में जारी किए निर्देश के तारतम्य में छत्तीसगढ सरकार द्वारा सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

छत्तीसगढ शासन के समान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश के तहत विभिन्न स्थानों में फंसे प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों, विद्यार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय मूवमेंट हेतु अनुमति दी जा सकती है परन्तु अन्य राज्यों के हॉटस्पाट्स जिलों से व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी। पूर्व में अप्रभावित जिलों के हॉटस्पाट घोषित होने की दशा में भी अंतर्राज्यीय मूवमेंट हेतु जारी अनुमति निरस्त कर अन्य राज्यों के हॉटस्पाट्स जिलों से व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के भीतर आने की अनुमति नहीं होगी। राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले और अन्य राज्य में जाने वाले तथा राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रांजिट करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संधारित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए जारी निर्देश के तहत सभी राज्यों को ऐसे लोगों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा इनके मानक प्रोटोकाल तय करने के निर्देश दिए गए हैं। ये नोडल अधिकारी फंसे हुए लोगों का अपने राज्य में पंजीयन करेंगे। यदि फंसे हुए लोग एक राज्य से दूसरे राज्य या केन्द्र शासित प्रदेशों में जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भेजने वाले राज्य तथा जिस राज्य में ऐसे लोग जाना चाहते हैं, दोनों राज्यों की आपसी सहमति और परामर्श से संबंधित स्थानों में भेजा जा सकेगा। ऐसे सभी लोगों को कोरोना संक्रमण नहीं होने की स्थिति में जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

एक राज्य से दूसरे राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में लोगों को जाने के लिए बसों का उपयोग करना होगा। फंसे लोगों को भेजने के पूर्व बसों को सेनेटाइज करना होगा। साथ ही ऐसे वाहनों में बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने पर संबंधित राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया जाए और उन्हें होम क्वॉरेंटाईन में रखा जाए।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनतमपूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती रेकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सफुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे निश्चित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूल मिशन पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

राज्य में आज एक लाख 12 हजार जरूरतमंदों को मिला निःशुल्क भोजन व खाद्यान्न

» 82 हजार 734 को मास्क और सेनेटाईजर वितरित

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप राज्य के सभी जिलों में गरीबों, अन्य स्थानों के श्रमिकों एवं निराश्रित लोगों को निःशुल्क भोजन व खाद्यान्न पैकेट उपलब्ध कराए जाने का सिलसिला जारी है। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों की मदद के लिए राज्य भर में जगह-जगह लगाए गए राहत शिविरों में 29 अप्रैल को एक लाख 12 हजार 501 जरूरतमंदों, श्रमिकों एवं निराश्रितों को निःशुल्क भोजन व खाद्यान्न पैकेट उपलब्ध कराया गया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क, सेनेटाइजर एवं दैनिक जरूरत का सामान भी जिला प्रशासन, रेडक्रॉस तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की सहयोग से जरूरतमंदों को लगातार मुहैया कराया जा रहा हैं। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 25 अप्रैल को स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से 82 हजार 734 मास्क एवं सेनेटाईजर, साबुन आदि का वितरण जरूरतमंदों को किया गया हैं।

यह उल्लेखनीय है कि जिलों में प्रशासन द्वारा समाजसेवी संस्थाओं एवं दानदाताओं के सहयोग से संचालित राहत शिविरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक 51 लाख 16 हजार 180 लोगों को निःशुल्क भोजन एवं खाद्यन्न पैकेट उपलब्ध कराया गया है। स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए 42 लाख 32 हजार 145 मास्क सेनेटाईजर एवं अन्य सामग्री का निःशुल्क वितरण जन सामान्य को किया गया है।

प्रदेश में 29 अप्रैल को जिलों में एक लाख 12 हजार 501 लोगों को निःशुल्क भोजन एवं राशन उपलब्ध कराने के साथ ही 82 हजार 734 लोगों को आवश्यक मदद, मास्क, सेनेटाईजर, साबुन आदि का वितरण किया गया है। शासन एवं समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से आज दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक 49 हजार 11 लोगों को निःशुल्क भोजन एवं राशन प्रदाय किए जाने के साथ ही उन्हें कोरोना संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए मास्क एवं अन्य सामाग्री का वितरण किया गया है। इसी तरह सुकमा जिले में 1340, राजनांदगांव में 5154, रायगढ़ 4013, बस्तर में 10,280, कांकेर में 8138, बीजापुर में 642, जशपुर में 3004, कोरिया में 687, सूरजपुर में 721, बालोद में 133, कबीरधाम में 1638, बलौदाबाजार में 1373, धमतरी में 1387, महासमुंद में 756, बलरामपुर में 11,103, दुर्ग में 10,454, सरगुजा में 393, जांजगीर-चांपा में 26,946, बिलासपुर में 4287, रायपुर में 21,802 कोण्डागांव में 1043, बेमेतरा में 240, गरियाबंद में 2170, मुंगेली में 24,417 तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 1782 जरूरतमंदों राशन एवं अन्य सहायता उपलब्ध करायी गई हैं।